समाजवादी लोकतंत्र अथवा लोकतांत्रिक समाजवाद

स्वतंत्रता के बाद से ही भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद का मार्ग छोडकर समाजवादी लोकतंत्र का मार्ग पकडा और भारत अब तक उस मार्ग पर लगातार चलता गया चाहे बीच बीच मे सरकारे बदलती ही क्यो न रही हो। समाजवादी लोकतंत्र लोकतंत्र का एक विकृत स्वरूप है। समाजवाद का वास्तविक अर्थ बदलकर साम्यवादियों ने इस शब्द को अधिकारो के अकेन्द्रीयकरण से हटाकर अर्थ के अकेन्द्रीयकरण तक सीमित कर दिया। ऐसे देश यदि लोकतंत्र स्वीकार करते है तो वहां लोकतंत्र सिर्फ शासन पद्धति तक आकर ही सिमट जाता है। कभी जीवन पद्धति मे नही आता। ऐसी हालत मे समाज मे आर्थिक सम्पन्नता भी भूख पैदा की जाती है तथा लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की भूख को दबाया जाता है। ऐसी स्थिति मे समाज पूरी तरह शासन का मुखापेक्षी बनता चला जाता है। जिसका दूसरा अर्थ होता है अप्रत्यक्ष गुलामी । सत्ता का लगातार केन्द्रीयकरण होता है। आर्थिक विकास की भूख बढती जाती है तथा पूर्ति मे समाज की अन्य इकाइयों से दूरी बन जाने के कारण अब्यवस्था बढती चली जाती है। विश्व स्तरीय सिद्धान्त है कि विकृत लोकतंत्र हमेशा ही अब्यवस्था का विस्तार करता है जिसका दो ही समाधान होता है। 1 लोकतंत्र को लोक स्वराज्य की दिशा देना। 2 तानाशाही । स्पष्ट दिख रहा कि भारत मे प्रबल तानाशाही की भूख पैदा होती रही है क्योकि आम तौर पर लोग महसूस कर रहे थे कि इस अब्यवस्था से तो अंग्रेजो का राज्य अच्छा था अथवा इससे तो अच्छा है कि सैनिक तानाशाही आ जाती।

स्वतंत्रता के बाद के सरसठ वर्षो तक भारत का समाजवादी लोकतंत्र किस दिशा मे गया और इसके परिणाम क्या हुए, यह विचारणीय है । लोकतांत्रिक भारत मे केन्द्र मे सारी सत्ता एक परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही। या तो वह परिवार स्वयं सत्ता मे रहा अथवा विपक्ष की भूमिका मे भी रहकर कोई मौलिक परिवर्तन के अवसर नही दिये। केन्द्र सरकार को देखते हुए प्रदेशो मे भी खान्दानी शासन की प्रवृत्ति बढती गई। मुलायम सिंह, लालू प्रसाद, करूणा निधि, जय ललिता आदि ऐसे पर्याप्त उदाहरण है। यहां तक कि भारत के निन्यानवे प्रतिशत राजनेता अपने बेटे बेटियो को राजनीति के लिये भरसक तैयार करते है। भले ही उसमे सफल विचारक समाजशास्त्री वैज्ञानिक अथवा ऐसी ही समकक्ष योग्यताऐं क्यो न हो। राहुल गांधी मे एक महापुरूष बनने तक गुण दिखते हुए भी सोनियां गांधी ने उसे राजनीति मे जबरदस्ती ढकेला क्योकि अब देश मे गांधी बनने का महत्व घाटे का सौदा है और राजनैतिक सत्ता लाभ का। स्वाभाविक था कि राहुल खुद भी डूबते ओर अपनी मम्मी को भी डुबाते, जो हो चुका है।

समाजवादी व्यवस्था की एक खास बात होती है कि वह पूंजीवादी देशो से गुप्त रूप से चाहे समझौता कर ले किन्तु प्रत्यक्ष रूप से तो उसे हर मामले मे अमेरिका अथवा पूंजीवाद के विरूद्ध लगातार बोलना ही पडता हैं यहां तक कि संघ परिवार की भी मजबूरी थी कि वह यदा कदा अमेरिका के विरूद्ध कुछ न कुछ बोलता रहे।

समाजवादी व्यवस्था हमेशा से ही असंगठित नागरिकों की चिंता छोड़कर संगठनों को जोडकर रखती है। भारत की आबादी के 15 प्रतिशत् मुसलमान पूरी तरह संगठित थे और 80 प्रतिशत हिंदू असंगठित। अब तक चली आ रही राजनैतिक व्यवस्था ने संगठित मुसलमानों को इस सीमा तक सिर पर चढाया कि उन्हें घमण्ड हो गया कि उनके विरूद्ध जाकर भारत में न कोई सरकार बनी है न बनेगी। आम तौर पर मुसलमानों को यह बात अच्छी तरह मालूम है कि हिंदू कभी एकजुट हो ही नहीं सकता। देश के भारतीय जनता पार्टी सहित सभी राजनीतिक दल हिंदुओं की इस कमजोरी के विरूद्ध मुस्लिम एकजुटता का लोहा मानते रहे और उन्हें भारत के सभी सार्वजनिक संसाधनों का पहला अधिकारी समझते रहे। मैने स्वयं देखा है कि भाजपा के अधिकृत चेहरे लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, जसवंत सिंह, यशवंत सिंहा, अटल बिहारी वाजपेयी आदि भी इस समूह के साथ तालमेल बनाकर हीं रखना आवश्यक समझते रहे।

सोनिया गांधी के समक्ष एक अच्छा अवसर था कि वे मनमोहन सिंह के साथ छेडछाड न करती। मनमोहन सिंह जी समाजवाद से किनारा करके पूंजीवादी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे थे किंतु सोनिया गांधी को ऐसा आभाष हुआ कि राहुल गांधी को आगे करके थोडी सी समाजवादी दिशा ले ली जाये तो राहुल प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सोनियां गांधी ने मनमोहन सिंह को खडाउ बनाकर सारी सत्ता का स्वयं ही संचालन करने लगी। स्वाभाविक ही था की उद्योगपतियों को सबसे पहले इस परिवर्तन से कष्ट हुआ। नरेन्द्र मोदी ने वामपंथी नीतियों के विरूद्ध मोर्चा सम्हाला।

भारत मे रहते हुए भी मुसलमानो की संगठन शक्ति के समक्ष स्वयं को मुस्लिम देशो की तरह दूसरे दर्जे सरीखे रहने वाले हिन्दू समाज को भी एक मुक्ति का मार्ग दिखा और वह भी पूरी तरह नरेन्द्र मोदी के साथ हो गया।

संघ परिवार नरेन्द्र मोदी के तानाशाही स्वाभाव के कारण चिढता था किन्तु उसके पास इससे अधिक अच्छा कोई विकल्प नही था। मोदी के यदि तानाशाही स्वरूप को छोड दे तो संघ के अनुसार नरेन्द्र मोदी मे अन्य सभी गुण मौजूद है। उनमें प्रशासनिक समाधान की इच्छा शक्ति है तथा विकृत समाजवाद के विल्कुल विपरीत पूंजीवादी व्यवस्था से तालमेल है। पूंजीपति घराने सोनिया जी की वामपंथी नीतियां से तंग आकर मोदी जी के साथ पहले ही हो चुके थे तथा भारत का आम हिन्दू गुजरात के मुसलमानो को साम्प्रदायिकता से हटकर हिन्दुओ के समान सीधा चलते हुए देखकर लगातार मोदी जी की ओर आकर्षित हो रहा था। यह आकर्षण इस सीमा तक बढा कि उसने अरविन्द केजरीवाल तथा नीतिश कुमार तक से ध्यान हटाकर सब लोग मोदी मोदी चिल्लाने लगे। इस तरह अनेक परिस्थितियां एक साथ जुटने से एक चक्रवात बना। उस चक्रवात ने एक तूफान का स्वरूप ग्रहण कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप भारत की राजनैतिक व्यवस्था बदली अन्यथा सरसठ वर्षो से जड जमा चुके नेहरू परिवार रूपी बरगद के पेड को धराशायी करना आसान नही था।

तूफान निकल चुका है। बीच मे आने वाले बडे पेड या बिजली के खंभे भी धराशायी हो गये। तूफान के अनुमान से राम बिलास पासवान सरीखे लोगो ने झुककर समझौता कर लिया और बच गये। किन्तु अब पुराने गीतो को लम्बे समय तक गाने का अवसर नही। भारत मे लोकतंत्र ने एक करवट ली है। मोदी तानाशाह हो सकते है। ऐसा आभाष सबको पहले से है किन्तु सब कुछ समझते हुए भी देश ने समाजवाद से पिंड छुडाने को अधिक महत्वपूर्ण माना । वैसे तो भारत की जनता ने दो हजार नौ मे भी मनमोहन सिंह के पक्ष मे जनादेश देकर तथा बाद मे भी बंगाल मे ममता बनर्जी को बहुमत देकर स्पष्ट कर दिया था कि भारत वामपंथी विचार धारा से बाहर निकलना चाहता है किन्तु इशारा समझने की अपेक्षा सोनिया जी ने वामपंथी सोच वालो की राष्ट्रीय सलाहकर परिषद बनाकर उस दिशा मे आगे बढती चली गई। जिसका परिणाम स्पष्ट जनादेश के रूप मे 2014 मे प्राप्त हुआ।

स्पष्ट है कि जनादेश चौदह मे भ्रष्टाचार, मंहगाई, अब्यवस्था, आर्थिक समस्याए आदि अनेक विषयो का समावेश है, जो कुल मिलाकर एक तूफान बन सका किन्तु मेरे विचार मे इस जनादेश मे सर्वाधिक भूमिका वामपंथी अर्थनीति तथा इस्लामिक घमंड की दिखती हैं। वामपंथी अर्थनीति करीब करीब पूरे विश्व से परास्त हो चुकी है। भारत मे कुछ लोग उसे किसी तरह मिल जुलकर जीवित रख रहे थे किन्तु प्रकाश करात सरीखो की अदूरदर्शिता ने उसे भारत से भी निपटा दिया। इसलिये अब नई सरकार के लिये वामपंथी सोच कोई चिंता का विषय नहीं किन्तु मुस्लिम साम्प्रदायिकता आज भी पूरी दुनियां के लिय एक सिर दर्द बनी हुई है। अभी अभी नाइजीरिया की बोको हरम घटना या आये दिन पाकिस्तान मे होती आतंकवादी घटनाऐं चिन्ता का आधार है। नई परिस्थितियों मे भारत के मुसलमान भले ही गुजरात सरीखे धर्म निरपेक्ष हो जावे किन्तु विश्व इस्लामिक मूवमेंट इन्हे शान्त नही रहने देगा। समस्या विश्व व्यापी होने से इस धारणा को कुचलने का मार्ग भी संभव नही है। और पूर्व मे चल रहे मार्ग से चलना भी संभव नही हे। मेरे विचार से भारत के हिन्दुओ ने हिन्दू साम्प्रदायिकता के पक्ष मे कोई जनादेश देने की अपेक्षा मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विरूद्ध जनादेश दिया है। ऐसी स्थिति मे अयोध्या मंदिर मुद्दे को किनारे करके समान नागरिक संहिता को आगे लाना चाहिये। समान नागरिक संहिता एक धर्म निरपेक्ष विषय है और मंदिर हिन्दुओ के पक्ष मे झुका हुआ। इसी तरह धारा 370 को सिर्फ बहस कराने तक सीमित रखना ठीक है। इस संबंध मे जल्दबाजी ठीक नहीं। इसी तरह मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक 1967 जो कांग्रेस सरकार मे ही बना था उस तरह के कानून अन्य प्रदेशो मे भी बनाये जा सकते हे। मंहगाई तो सिर्फ भावनात्मक मुद्दा है। जिसका कोई अस्तित्व नही। भ्रष्टाचार नियंत्रण मोदी जी का अपना मुद्दा है हीं सुशासन आदि अपने आप दिखेगा। किसी विशेष कार्यक्रम का कोई सुझाव नही।

इस तरह अंत मे मेरा सुझाव है कि मोदी जी समान नागरिक संहिता धर्म परिवर्तन कराने के प्रयत्नो पर रोक जैसे साधारण विषयो को भी अपने प्रयत्नो मे शामिल करे तो अच्छा होगा।

किन्तु ये सभी प्रयत्न मोदी जी या भाजपा के लिये तो लाभदायक हो सकते है किन्तु समस्या का समाधान नहीं। समाजवादी लोकतंत्र को छोडकर वर्तमान व्यवस्था में हीं कुछ उलटफेर पर्याप्त नहीं। वास्तविक समाधान तो समाजवादी या पूंजीवादी से भी आगे जाकर लोकतांत्रिक समाजवाद है। समाजवाद शब्द को वामपंथियों ने विकृत

किया है। अतः उस समाजवाद शब्द को वास्तविक अर्थों में स्थापित करना होगा। मुझे लगता है कि समाजवाद शब्द इतना बदनाम हो गया है कि लोकतांत्रिक समाजवाद शब्द को पुनर्जिवित करना कठिन होगा। इसलिये हम उपयुक्त होते हुए भी उसके स्थान पर लोकस्वराज्य अथवा सहभागी लोकतंत्र शब्दों को आगे बढ़ा रहे हैं।

1.श्री वीरेंद्र भारती , पौडी गढवाल उत्तराखण्ड 1524

विचार– आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र पत्रिका के माध्यम से व्यापक जनहित में उन राजनैतिक दलो, नेताओ, बुद्धिजीवियो और आदर्श व्यवस्था कायम करने के पैरोकारो, सर्मथको को मै उन विस्तृत मैलिक सुझावों को संक्षेप में विन्दुवार प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो मैने पिछले 20 वर्षो से केंद्र तथा राज्य सरकारो को भेजे लेकिन दुर्भाग्य से उनका उत्तर तक न मिला। कृपया आप अपने सुझाव अवश्य दें।

1– आम आदमी के हित की योजना, क्षेत्र और राष्ट्र के विकास की सोच तथा दक्ष प्रशासनिक प्रणाली के होते हुए भी बेअसर होती योजनाओ को कैसे कारगर बनाया जाय? इस संबंध में आम आदमी के खास सुझावो पर विचार, परीक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश तय करने वाला राष्ट्रीय तथा प्रांतीय स्तर पर विशेषज्ञ समाज सेवी जनप्रतिनिधि आयोग (स्वायत्तशासी) जो स्वयं भी अनेक योजनाओ और उनके क्रियान्वयन का स्वरूप तय कर सरकार को भेजें। सरकार (केंद्र व राज्य) में इसके क्रियान्वयन हेतु एक मंत्रालय अलग से स्थापित होना चाहिए।

2– सत्ता का दायित्व है कि वह अपने नागरिको की सुविधाओ की सुलभता के लिए , उन्हे अनावश्यक दर दर भटकने से बचाने के लिए, समय श्रम एवं अपव्यय रोकने के लिए सत्ता नागरिको के द्वार का अहसास दिलाते हुए ग्रामीण क्षेत्रो में ग्राम पंचायत स्तर व नगरीय क्षंत्रो में वार्ड स्तर पर जाति, आय, मूल निवास, जन्म–मृत्यु प्रमाणपत्र मकान जमीन खाता खतौनी के कागजात , बिजली, दूरभाष, पानी आदि के बिल जमा कराने के लिए एकल खिडकी प्रणाली, जिम्मेदार सक्षम अधिकारी की नियुक्ति कर स्थापित करे। जो नागरिक जरूरतो को अधिकतम तीन दिन में निपटाए। त्वरित प्रमाण पत्र चार घण्टे के अंदर जारी किए जाए।

3– शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन जरूरी है। वर्तमान विषयो का पठन पाठन मात्र दो घण्टे से अधिक ना हो, प्राथमिक स्तर से ही ऐसी व्यावसायिक शिक्षा दी जाय जिसका समय अधिकतम एक घण्टा रखा जाय। व्यावसायिक शिक्षा बच्चो की उम्र के हिसाब से दिया जाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा वर्तमान परिस्थितियो के अनुकूल हो।

4– जल के महत्व को देखते हुए जल संरक्षण अधिनियम बने, जो वन अधिनियम की भॉति कडा हो। पंचायतो ,सरकारी विभागो निकायो द्वारा किए जा रहे निर्माण, खनन आदि की वैज्ञानिक जॉचकर उन्हे मंजूरी देने के लिए जिला स्तर पर स्थानीय जानकारो के अतिरिक्त सक्षम अधिकारियो , अभियंताओ व अन्य विशेषज्ञो की समिति हो जो अपने अधीन विकास खण्ड स्तर पर भी ऐसी ही समिति स्थापित करे।

5– समाज में हिंसा और धर्मान्धता कम से कम करने के क्रम में शिक्षण संस्थानो में धार्मिक प्रवृति बढाने सम्बंधी किस्से कहानियो की जगह नैतिक शिक्षण पर सर्वाधिक जोर दिया जाना चाहिए। भावी पीढी बच्चो को अनैतिक कार्य पर ले जा रहे धारावाहिको फिल्मो को सार्वजनिक प्रसार माध्यमो दूरदर्शन, निजी चैनलो पर प्रतिवंधित किया जाना चाहिए।

हिंसा, खून खराबा, गोली चलाना ,चाकू घोपना लहूलूहान कर देने वाले दृश्य अत्यंत अश्लील फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक है। अतः इनके फिल्मांकन को वास्तविक खूनखराबा करने वाले की तरह अपराध और अपराधी की श्रेणी में रखकर इन पर कठोरतम कानून लागू होना चाहिए।

6– सरकारी बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के स्वयं के सरकारी संस्थानों में ही गोला बारूद रायफल आदि का उत्पादन हो, बाकी सभी गैर सरकारी फैक्ट्री में उक्त जीवननाशक एवं घातक सामग्री निर्माण करना अत्यंत बडा अपराध एवं गैर जमानती अपराध माना जाय। हो सके तो चाकू आदि भी प्रतिवंधित सामग्री माना जाय।

उत्तर– यह सही है कि आप ने कुछ मैलिक विचार प्रस्तुत किए है। यदि सरकार इस तरह का कोई मंत्रालय बनाये तो इससे कुछ सुविधा संभव है। दूसरे सुझाव में आपके सुझाव की मूल भावना से मै सहमत हूँ। शब्द चयन में आप ने सत्ता का दायित्व लिखा तो सत्ता या शासन का दायित्व तो सुरक्षा और न्याय तक सीमित होता है अन्य सभी कार्य उसके स्वैच्छिक कर्तव्य होते हैं। इस तरह दायित्व शब्द के स्थान पर कर्तव्य शब्द लिखना अधिक उपयुक्त होता। शिक्षा के विषय में आपके सुझाव उचित हैं। अन्य सुझाव से मेरी सहमति है।

मेरा सुझाव है कि आदर्श लोकतंत्र में व्यवस्था नीचे से उपर जाती है उपर से नीचे नहीं आती। सुरक्षा और न्याय का दायित्व सर्वोच्च संस्था का है और इसलिये वह उपर से नीचे आता है। किंतु शेष सभी कार्य समाज का दायित्व हैं इसलिये वह नीचे से उपर की ओर जाते हैं, उपर से नीचे नहीं। मेरे विचार से राज्य अथवा सरकार के पास सेना, पुलिस, वित, विदेश, न्याय छोडकर कोई भी विभाग नहीं होना चाहिए। शेष सभी कार्य परिवार, गांव, ज़िला, प्रदेश तथा केंद्रीय सभा के पास होना चाहिए और ये कार्य भी नीचे वाली ईकाईयां उपर वाली ईकाई को परिस्थिति के अनुसार दे सकती है। इस तरह जल संरक्षण संबंधी कार्य की चिंता केंद्र सभा का कार्य तो हो सकता है किंतु सरकार का नहीं। फिर भी मैं इतना स्पष्ट कर दूं कि मेरे सुझाव लोकस्वराज्य अथवा आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हैं जो अब तक आंशिक रूप से भी लागू नहीं हुए हैं। वर्तमान प्रदूषित लोकतंत्र में सुधार संबंधी मेरे सुझाव नहीं है। मैं इतना और स्पष्ट कर दूं कि वर्तमान प्रदूषित लोकतंत्र की जगह भारतीय संविधान में व्यापक संसोधन करके हीं आदर्श लोकतंत्र की दिशा में बढा जा सकता है। आपके सभी सुझाव वर्तमान प्रदूषित लोकतंत्र में कुछ सुधार के लिए उपयुक्त है।

2. श्री नरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय सचिव– व्यवस्था परिवर्तन अभियान कमेटी

विचार– स्वराज्य और उसके कथित कार्यकर्ता

हाल हीं मे देश में सोलहवीं लोक सभा के चुनाव सम्पन्न हुए हैं और उनका परिणाम भी घोषित हो गया है। परिणाम सभी के सामने है किन्तु मुझे इस चुनावी परिणाम व नयी बनने वाली सरकार की नीति के बारे मे न कोई आंकलन करना है और न कोई समीक्षा। क्योकि देश की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के ढांचे के अन्तर्गत किसी नयी बनने वाली सरकार की कोई वस्तुनिष्ट समाज केन्द्रित नीति बननी नही है। और उस नीति के अभाव मे समाज का कोई महत्व सिद्ध होना नही है। मूलतः यह किसी व्यक्ति का दोष नही है, बल्कि यह तो स्थापित व्यवस्था द्वारा समाज पर थोपी गयी ढांचा गत गुलामी का परिणाम है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करने वाला व्यक्ति वैसा ही बन जायेगा जैसा कि इसका स्वयं का चरित्र है। मुझे इस व्यवस्था के अनुसार कार्य काने वाले एवं इसका समर्थन करने वाले लोगो से कोई गुरेज नही है। भले ही इस देश का जनमानस किसी न किसी तरह इस ढांचा गत गुलामी से मुक्ति पाने की तीव्र इच्छा रखता है और वह किसी निरीह प्राणी की तरह सत्ता के लुटेरो मे से ही कोई अपनी मुक्ति का नायक चुनता है, क्योंकि वह कभी इस सत्य को समझ ही नहीं पाता कि उसे जिनके द्वारा भी स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रलोभन मिलता है वे ही नीति नियोजन के नाम पर उसकी गुलामी का मार्ग प्रशस्त करते जाते है। किसी भी सत्ता तंत्र के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोग भी इस पहेली को नही सुलझा सकेंगे। वे सदैव सत्ता के नायकों की अदला–बदल मे ही फसे रहेंगे और जीवन बीतता रहेगा। मै ऐसी सरकार और उसकी नीतियों के बारे मे कोई बात नही करना चाहता किन्तु मै यहां पर उन लोगो के बारे मे अवश्य चर्चा करूंगा जो मानव जाति को समाज की व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप अर्थात् स्वराज्य की अवधारणा से अवगत कराते है । वे समाज को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करते है कि स्वतंत्रता प्राप्ति का यही मार्ग है किन्तु अन्ततः वे भी इस मार्ग की आभा का प्रयोग केवल सत्ता की प्राप्ति के प्रयासो के लिये ही कर पाते है। मै समाज मे बीत रही इस तमाम राजनीतिक उठापटक का आकलन करके कहता हूँ कि लोग क्यों स्वराज्य की आभा को सत्ता प्राप्ति के लिये धूमिल करते है, अथवा सत्ता ही जीवन का वह चरमोत्कर्ष है जिससे आगे की कल्पना नही की जा सकती। मुझे यह आंकलन करके उन लोगो से ग्लानि होती है, जो स्वराज्य की आभा को सत्ता प्राप्ति का हथकंडा बनाते हे । वास्तव मे परिवर्तन के लिये यह उपयुक्त प्रयास नही है। अस्तु मै इस चर्चा को यही पर समाप्त नही करना चाहता। अन्यथा स्वराज्य के इन तथाकथित कार्यकर्ताओ को स्वराज्य की अवधारणा को अपने ढंग से परिभाषित करने का अवसर सुलभ हो जायेगा। मै वास्तव मे नेताओ की भाषा बोलने की सामर्थ्य नही रखता किन्तु देश तो वास्तविक परिवर्तन चाहता है। समाज वास्तव मे गुलामी का उन्मूलन चाहता है तभी तो वह बिना सोचे समझे किसी का भी इशारा पाकर परिवर्तन के पथ पर अग्रसर हो जाता है। लेकिन स्थापित ढांचा गत गुलामी का यह प्रकार उसके सामने पुनः और भी दुरूह स्थिति लाकर खडा कर देता है। यहां पर इस विषय मे मै यह कहूँगा कि स्वराज्य के कार्यकताओ के लिये राजनीतिक संस्था बनाना व समाज की राजनीतिक व्यवस्था की प्रक्रियाओ मे भाग लेना न तो प्रतिबंधित कार्य है और न ऐसा करने से उनका चरित्र बुरा सिद्ध होता है। लेकिन वे कभी भी समाज को गुलामी देने

वाले सिद्धान्तों के पालनकर्ता तो नही होने चाहिये। उन्हे शक्ति के केन्द्रियकरण के लिये कठोर संगठन वादी नही होना चाहिये। उन्हे मौजूदा व्यवस्था पद्धति के अनुसार सत्ता प्राप्त करने वाले लोगो से न तो सत्ता संघर्ष करना चाहिये ओर न उन्हे रोकने के प्रयास करने चाहिये। बल्कि उन्हे अपना प्रयास स्वराज्य की अवधारणा के प्रसार और व्यवस्थापन के लिये करना चाहिये । उन्हे स्थापित व्यवस्था के शक्ति केन्द्रीयकरण करने वाले संगठनात्मक ढांचे संगठन वादियो के विरूद्ध यथार्थ् प्रज्ञा संस्थाओ का निर्माण करना चाहिये। जब से स्वराज्य की जैविक संस्थाऐं समाज मे स्वराज्य की अवधारणा का प्रक्रियात्मक प्रयास करेगी तो स्वराज्य स्वतः ही स्थापित होता चला जायेगा। उसके विरूद्ध शक्ति का केन्द्रीयकरण करने वाले आलोकतांत्रिक संगठन की शक्ति का स्वतः ही हृास होता चला जायेगा। मेरे विचार से स्वराज्य के किसी कार्यकर्ता को किसी भी संगठनवादी एवं सत्ता लोलुप राजनेता से सत्ता संघर्ष करने की आवश्यकता नही होती। क्योकि उसका उददेश्य किसी राजनेता या राजनीतिक संगठन को सत्ता से च्युत करना नही है। बल्कि समाज मे स्वराज्य की अवधारणा की स्वीकार्यता होनी चाहिये, जो कि स्वराज्य की मौलिक कार्यशैली के अनुसार ही आ सकेगी।

उत्तर– मै आपके विश्लेषण तथा सुझाव से सहमत हूं। अन्ना जी का आंदोलन इसी सत्ता संघर्ष की भेंट चढ गया। भारत की जनता स्वतंत्रता और सुविधा के बीच खडी है । यदि उसे कही स्वतंत्रता की हल्की सी भी आहट दिखती है तो वह तेजी से उस ओर दौड पडती हैं अन्यथा उसके पास सुविधा की ओर जाने का मार्ग भी उपलब्ध है। अन्ना जी के आंदोलन की असफलता से निराश जन मानस उसी सुविधा की उम्मीद मे तानाशाही तक का खतरा उठाने के लिये तैयार हो गया है। व्यवस्था परिवर्तन का उददेश्य किसी भी रूप मे सत्ता संघर्ष मे सक्रिय होना न है न होना चाहिये। मै आपसे सहमत हूँ।

3. श्री करम वहीद नकवी, विस्फोट डॉट काम से

विचार– वोट के लिये बलात्कारी भी माफ। राजनीति के नाबदान मे ये राग गलीज की नयी तान हैं । वाह मुलायम सिंह जी वांह मान गये आपको। आपको बचपन से पहलवानी का शौक था। ऐसा सुना था, लेकिन आज पता चला कि आप वाकई बडे उस्ताद पहलवान है। ऐसा पछाड दांव मारा कि इमरान मसूद, अमित शाह, आजम खान सबके सब फिसड्डी रह गये। बेशर्मी की पतन ध्वजा आपके हाथो मे आ कर महागर्वित है।

बलात्कार पर फांसी हो या न हो यह एक अलग बहस है। आपने कहा कि आप बलात्कार के लिये फांसी के खिलाफ है। कहिये इसमे कुछ भी गलत नही । देश मे बहुत से लोग बलात्कार या किसी भी अपराध मे फांसी दिये जाने के विरूद्ध हैं।

यह तो हुई आपकी बात की बात। अब बात आपकी बात के पीछे छिपी मंशा की । ये बात आपने कहां कही? उत्तर प्रदेश मे मुरादाबाद की एक चुनावी रैली मे । आपको लगा कि ऐसा कह कर आप मुस्किल वोटरो को पुचकार लेंगे। मुम्बई के तहत बलात्कारियो मे से दो मुसलमान है और एक हिन्दू । आपको लगा कि शायद मुसलमानो को कहीं न कहीं यह बात चुभ रही हो कि दो मुसलिम लडको को फांसी होने वाली है। इसलिये अगर आप उनको बेचारा कहेगे तो शायद मुस्लिम वोटो की अच्छी फसल काट ले। आपने जिस मंशा से यह बात कही वह मंशा तो आपकी बात से भी कही ज्यादा घिनौनी है। आप एक बार फिर बेनकाव हो गये कि आप मुसलमानो को वाकई क्या समझते है। आप मुसलमानो को अब तक कैसे चूसते निचोडते रहे हैं। कैसे उन्हे भरमाते बहकाते हुए रखैल की तरह अब तक उनके साथ खेलते रहे है।

मुलायम जी बस बहुत हो चुका। राजनीति का यह गलीज राग बंद कीजिये। किसी बलात्कारी से किसी मुसलमान को कोई सहानुभूति नही है और न कभी होगी। किसी आतंकवादी से भी किसी मुसलमान को कोई सहानुभूति नही है। बशर्ते कि उसे किसी झूठे केश मे फर्जी तौर पर फंसाया न गया हो । मुसलमानो को तकलीफ तब होती है, जब फर्जी मुठभेड मे इशरत जहां जैसो को मार दिया जाता है। जब फर्जी कहानियां गढ कर आतंकवादी पकडे जाते है और बरसो बाद अदालतो मे साबित होता है कि पुलिस ने केस बनाने के लिये बिल्कुल झुठी कहानी रची थी। ऐसे मामले अब एक दो नही बल्कि सैकडो मे है। आतंकवाद का पूरी तरह सफाया

कीजिये। आतंकवाद को उनके किये की कडी से कडी सजा दीजिये। लेकिन आग्रह एक ही है कि उनके खिलाफ आरोप सच्चे हो सबुत पुख्ता हो।

नमो के सेनानायक है अमित शाह। मुंह मे विकास, बगल मे छुरी । अपमान का बदला लेने का बारूद सुलगा कर चले आये। कौन सा अपमान और किससे बदला। इमरान मसूद है। बोटी काटनेवाला पुराना टेप खुद लीक करा देते है। आजम खान को कारगिल से अल्लाह ओ अखबर सुनायी देने लगता है। करगिल हुए इतने दिन हो गये । बीस साल बाद अचानक इतनी चिन्ता ऐसी राजनीति से देश कहा पहुंचेगा ? यह विकास का कौन सा मॉडल है? मुटठी भर वोटो के लिये लोगो को उनका मजहब याद दिला–दिला कर बरगलाया जा रहा है। इंडिया फर्स्ट का यही नमूना है क्या? देश ऐसे ही जोडने का इरादा है आपका? अजब घनचक्कर है। काम तोडने वाले करो और कहो कि हम जोड रहे है और वाह लाल टोपी की काली राजनीति के मसीहो। जिनको बलात्कारी गैस रेपिस्ट भी भोले भाले मासूम बेचारे नजर आते हैं। कभी सोचा कि ऐसे हादसे के बाद लडकियों पर क्या बीतती है। लेकिन वह क्यो सोचे लडकियों के बारे में। लडकियां उनकी वोट बैक नही हैं लडकियां उनकी नजर मे उनके समूचे सोच मे आजाद प्राणी नही बल्कि खूटे से बंधी रेवडी है। वरना बलात्कार पर वह खाप पंचायतो जैसी भाषा न बोलते । कोई हैरानी नही कि बलात्कार के मामले मे उत्तर प्रदेश देश में मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद तीसरे नम्बर पर है। अब मुलायम वादा कर रहे है कि बलात्कार के खिलाफ कानून का दुरूपयोग रोकेंगे। अब आप अन्दाज लगा सकते है कि उत्तर प्रदेश मे जब जब उनकी पार्टी का शासन आता है तो गुंडाराज क्यो बढ जाता है।

उत्तर– जब भी मै किसी मुसलमान या महिला विद्वान का लेख पढता हूँ तो मै अधिंकाश मे पाता हूँ कि मुसलमान किसी न किसी रूप मे मुसलमानो की तथा महिलाये महिलाओ कें उत्पीडन की चर्चा अवश्य करते है। आपने भी मुलायम सिंह के महिलाओं पर बलात्कार संबंधी बयान को आधार बनाकर निर्दोष मुसलमानो को सताने की पीडा घुसाई है। स्वाभाविक है कि किसी घटना विशेष के अपराधी की खोज करते समय अनेक संदेहास्पदो से पूछताछ होती है। और यदि संदेह का आधार मजबूत हो तो उसे जांच पूरी होते तक जेल मे भी रखा जाता है। मुझे जानकारी है कि नक्सलवादी आतंकवाद के आरोप मे मात्र संदेह के आधार पर बडी मात्रा मे हिन्दू जेल मे रहते हैं। जिनमें से अनेक बाद मे निर्दोष छूट जाते है। यदि धार्मिक आतंकवाद की घटना हो तेा पहला संदेह मुसलमानो पर ही जाता है। क्योकि ऐसे आतंकवाद की घटनाओ मे सजा पाने वालो मे निन्यानवे प्रतिशत मुसलमान ही होते है। ऐसी स्थिति में संदेह के आधार पर पकडे गये लोग भले ही बाद मे उनमे से अनेक निर्दोष हो किन्तु पकडे गये निर्दोष लोगो मे भी मुसलमान ही निन्यानवे प्रतिशत संभव है। आप जैसे आतंक हितैषी किन्तु परन्तु लगातार ऐसी पूछताछ या गिरफतारी के खिलाफ आवाज उठाकर अपनी पहचान मात्र उजागर करते है । आखिर आप जैसे लोग जेलो मे बंद बेकसूर मुसलमानो के प्रति इतने क्यो चिंतित रहते है अन्य धर्मावलम्बियो के प्रति क्यो नही।

आपने महिलाओ के बलात्कार विषयक् मुलायम सिंह के बयान की समीक्षा की है । मुलायम सिंह का बयान किस नीयत से दिया गया यह मेरा विषय नही। हो सकता है कि उनका उददेश्य वोट बैक हो और आपका उददेश्य उस मुस्लिम वोट को मुलायम की ओर जाने से रोककर किसी दूसरी तरफ ले जाना हो, किन्तु मैने पूर्व मे मुलायम सिंह के बयान का समर्थन किया है और फिर करता हूँ । बलात्कार और हत्या के दण्ड की मात्रा मजबूरी या योजना के आधार पर कम ज्यादा करना उचित है। भावनात्मक उददेश्य मे किये गये अपराध की तरह सोच समझकर योजना पूर्वक सोदेश्य अपराध मे दण्ड की मात्रा एक नही हो सकती। काम क्षुधा पीडित व्यक्ति द्वारा उद्वेग मे किये गये बलात्कार की तुलना उस बलात्कार से नही की जा सकती जिसमे जान बूझकर किसी महिला विशेष का योजना पूर्वक अपहरण करके बलात्कार किया जाता है। वैसे भी मानसिक उद्वेग में भावनावश किए गये अपराधों में दण्ड का उद्देश्य समाज में भय पैदा करने की अपेक्षा दण्ड के भय से अपराधी के व्यवहार में सुधार को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है जबकि सोच समझकर किये गये अपराध का दण्ड समाज मे भय पैदा करने के उद्देश्य से दिया जाता है। मुलायम सिंह जी द्वारा गलती हो जाती है कहने का कहीं सें यह अर्थ नहीं है कि उन्हें माफ कर दिया जाये। उन्होने मात्र यह कहा है कि ऐसे मामले असामान्य कहकर अधिकतम दण्ड की श्रेणी में नहीं रखने चाहिए। कानून बनाते समय किसी वर्ग विशेष के प्रति भावनात्मक लगाव होगा तो वह लगाव कानून को प्रदूषित

करेगा। आज तक दुनियां मे एक भी ऐसा वर्ग नही जिसके सब लोग ही अच्छे हो या बुरे। यदि आप किसी वर्ग को विशेष छूट देंगे तो स्वाभाविक है कि उस वर्ग का समाज विरोधी व्यक्ति उस छूट का अधिक दुरूपयोग करेगा और शरीफ कम। महिलाओ के पक्ष मे बनने वाले कानून भी इस दोष से मुक्त नही है। आपको इस परिप्रेक्ष्य मे भी देखने की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि बलात्कार संबंधी वर्तमान कठोर कानून अनचाही हत्याओ की बाढ का कारण बन सकते है और बन भी रहे है।

4.डा0 ओंकार मित्तल, दिल्ली 18089

विचार– भारत की आजादी के 66 वर्ष बाद सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से नये विचार और नई दिशा की आवश्यकता है। हमारी मूल समस्या यह है कि हमने डेमोक्रेसी के प्रतिस्पर्धात्मक मॉडल को (ब्रिटेन मे लागू वेस्मिन्स्टर मॉडल) मजबूरी मे 1947 मे अपनाया। आज भी ईस्ट इंडिया कम्पनी और अंग्रेजो का यह पाप अपने राष्ट्र के कन्धो पर ढो रहे है। यह हमारी गहराती हुई विखंडन की हालत का मूल कारण है।

1. इस विखंडन का प्रथम रूप यह है कि शासन और प्रशासन, जनप्रतिनीधि और समाज तथा सत्ता और समाज के बीच गहरी खाई बन गई है। इसको मिटाने की प्राथमिक जिम्मेदारी राजनेताओ और समाज की है। लेकिन प्रतिस्पर्धात्मक लोक तंत्र के चलते राजनेताओं की शक्ति समाज के अंदर गहरी खाई पैदा करने मे चली जाती हे। पिछले साठ सालो की इस लम्बी प्रतिस्पर्धा मे वे अपनी मुख्य जिम्मेदारी राज काज को अपनी दृष्टि से ओझल कर चुके है।

2. दूसरी ओर वर्तमान आर्थिक तंत्र के चलते समाज अधिक से अधिक रूप मे राज्य की संस्थाओ पर निर्भर और परजीवी हो गया है। अपना स्वतंत्र स्वरूप खो बैठा है। इसका एक जुडा हुआ कारण राज्य की आधुनिकतावादी धारणा भी है जिसके चलते राज्य एक सर्वसत्तात्मक संस्था बन गई है। निजी तथा सामाजिक जीवन के हर आयाम को तय करने और हस्तक्षेप करने का अपना अधिकार उसने घोषित कर दिया है।

3. साथ ही इसके पास इतने आर्थिक संसाधन नही है जिनसे इन अधिकारों से जुडे अपने दायित्वो को पूरा कर सके। इसके चलते यह विदेशी कम्पनियों और विश्व बैक जैसी दानदाता संस्थाओ का गुलाम हो गया है।

हिन्द स्वराज पुस्तक का सावधानी और बारीकी से अध्ययन करके मेरा यह निजी निष्कर्ष बना है कि ब्रिटिश शासन प्रणाली के तात्विक पहलू को इस पुस्तक मे नजर अंदाज किया गया है। यह केवल गांधी जी का दृष्टिकोण नही है। बंकिम के आनंदमठ और कुछ अन्य उपन्यासो मे भी इस सुविधावादी दृष्टि की झलक मिलती है जो फिरंगी से भी रिफार्म करने का सपना देखते है। एक इतिहास पुरूष के रूप मे गांधी का स्थान बहुत ही उंचा है। उनके समय के सभी दिग्गज समकक्ष भी ऐसा ही मानते थे। गांधी जी से मतभेद का यहां इरादा नही है।

पिछले 130 वर्षो की यात्रा में जो प्रजातांत्रिक प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था भारत (और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल) में स्थापित हुई उसकी सफलता या विफलता हमारे सामने है। सभी इस बात पर सहमत हैं कि यह ढांचा अब चरमरा रहा है। नीति संवाद का यह मानना है कि 1. जिस ब्यूरोक्रेसी के राज से आधुनिक राजनीति देश में शुरू हुई थी वही आज तक जारी है। हमने रूल ऑफ दि पीपल एण्ड रूल फॉर दि पीपल तो स्थापित किया लेकिन रूल बाई द पीपल स्थापित नहीं कर पाये हैं। पंचायती राज व्यवस्था ब्यूरोक्रेसी के हांथ का पिंजडा बन कर रह गई है. 2. प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति का जो वेस्टमिनीस्टर मॉडल हमने अंगेजों से उधार लिया उससे हटकर हमको सहयोगी प्रजातंत्र का ढांचा बनाना है । इससे हीं हम आज जिस आगे कुंआ पीछे खाई वाली स्थिति में हैं उससे हमें निजात मिल सकती है। इसका संभावित आधार यह होगा किः

पिछले दो–तीन दशकों में , विशेषकर 1990 से अपनाई गई नवउदारवादी आर्थिक नीतियों के अंतर्गत , समाज में दरार बढ़ती गई है और गहराती गई है। इसकों समझने की आवश्यकता है। हमारे समाज का अमन– चैन, आर्थिक हालात तितर बितर हो रहा है.। देश में मौजूद प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक ढांचे के चलते इन दरारों ने उग्र रूप अख्तियार कर लिया है। यह पुराने राष्ट्र समाज के लिये खतरनाक है। इसका एक रूप वर्तमान चुनावों में घोषित या अघोषित सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में उभरकर सामने आया है। चुनावी गणनाओं में मदांध पार्टियां और उनसे पोंषित शरारती तत्वों की वजह से बेगुनाहों की जान जाने और हजारेां परिवारों के बेघर होने का खतरा अनेक समुदायों के उपर मंडराता रहता है। राज्य की संस्थाओं के द्वारा राज–काज की अपनी जिम्मेदारियों का उचित और

निष्पक्ष निर्वाह करने की असमर्थता के कारण समाज में बेगुनाहों के जान–माल का नुकसान होता है। यह स्थिति समाज और राजव्यवस्था के माथे पर कलंक है।

आज हम पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, पर्यावरणी, राजनैतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर गृह युद्ध की स्थिति में हैं। प्रेम और भाईचारे के द्वारा हीं शांति स्थापित हो सकती है.। जनक्रांति या ऑरेंज रेवोलुशन का नारा आज विश्व बैंक और उसके तंत्र के द्वारा दिया जा रहा है। जरूरत है कि इस आत्मघाती नारे को छोडकर हम शांति स्थापना के प्रयास करें। इससे ही एक अच्छे, स्थायी और मर्यादित समाज की नींव डाली जा सकती है। पश्चिमी लोकतंत्र की अवधारणा में मैं कोई विश्वास जाहिर नहीं कर रहा हूँ। आधुनिक राज्य की हमलावर संस्थाओं का प्रतिकार करने के लिए एक नये ढांचे का सुझाव हैं जो काल्पनिक ही है लेकिन कुछ आगे कदम उठाने के लिए कल्पना अपरिहार्य है।

राजनैतिक विकेंद्रीकरण के साथ प्रशासनिक विकेंद्रीयकरण का ढांचा भी अब तय करना होगा। इसका रोड मैप भी बनाना होगा।(इस संदर्भ में कर्नाटक में अब्दुल नजीर साब की अध्यक्षता में जो द्विस्तरीये मॉडल हेगडे सरकार ने लागू किया था उस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।)

1. प्रत्येक विधानसभा स्तर पर एक संवैधानिक अधिकार संपन्न नागरिक संसद का गठन किया जाये और विधायक इस नागरिक संसद के निर्देश पर अपना कार्य करें। उपर के राजकाज मे दोनों को निर्देशित करने की जिम्मेदारी इस नागरिक संसद की हो।
2. विधानसभा और संसद के स्तर पर सभी जीते हुए प्रत्याशी सीक्रेट बैलेट के द्वारा मुख्यमंत्री या प्रधनमंत्री का गठन करें। वर्तमान पद्धति के अनुसार जनप्रतिनिधियों के उपर राजनैतिक दलों की
   असंवैधानिक तानाशाहीं को समाप्त किया जाये।

इन दो मौलिक कदमों से वर्तमान राजनैतिक अंधी और आत्मघाती प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जा सकता है। इसको लागू करने के लिये वर्तमान संविधानिक ढांचे में मामूली फेरबदल करना होगा। इसके विस्तार पक्ष को आगे विमर्श में लाया जा सकता है।

इस खाई से बाहर निकलने का यह प्रथम प्रयास है– एक साझे और परस्पर पूरक रास्ते से, न कि किसी साधनामूलक एकांतिक प्रयासों से।

- हमें ऐसी राजव्यवस्था के साथ ऐसा समाज भी बनाना है जिसमें मानवीय विकास की ओर सभी अग्रसर हो सकें। परस्पर पूरकता के माध्यम से हरेक जान की, माल की, अमन–चैन का सम्मान हो व रक्षा हो।
- अविकसित मानवीयता व मानवीय गुणों वाला समाज, एक असुरक्षित और विभाजित समाज बनेगा। यह एक प्रभावी राजसत्ता का निर्माण करने में असमर्थ होगा। इससे न तो किसी व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि ला सकता है, न किसी राष्ट्र के।
- लोक विधा के दृष्टिकोण पर एम्परिकल स्टडीज की आवश्यकता है. इससे लोकविधा और लोकतंत्र की उपरोक्त दृष्टि एक– दूसरे के पूरक बनेगें।

इस संवाद में शामिलन होने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं. इस आधार पर आगे का विमर्श बन सके ऐसा विनम्र निवेदन है।

उत्तर– आपने वर्तमान अव्यवस्था के लिए कुछ सुझाव दिये हैं जो स्वागत और विचार मंथन योग्य हैं। अन्यथा आम तौर पर लोग समस्याओं का तो लंबा चौंडा विवरण प्रस्तुत करते हैं किंतु समाधान का या तो कोई सुझाव नहीं देते हैं या देते हैं तो अव्यावहारिक। जैसे यदि चरित्र सुधर जाए तो सब सुधर जाएगा अथवा शिक्षा प्रणाली को सुधार देना अथवा भ्रष्टाचार को दूर कर देना आदि। ऐसे सुझाव किसी विचार मंथन की दिशा नहीं देते।

मेरे विचार में वर्तमान अव्यवस्था का प्रमुख कारण राज्य का स्वयं को समाज से उपर समझना तथा समाज के सामाजिक कार्यों में राज्य का अधिकाधिक हस्तक्षेप है। समाज की सामाजिक समस्याऐं समाज का आंतरिक मामला है। उसका राज्य से कोई संबंध नहीं। आपके राज्य और समाज के बीच संबंध संबंधी सुझाव पर तात्कालिक सक्रियता हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए किंतु दूसरा प्रस्ताव समाज का आंतरिक मामला है। उस प्रस्ताव पर हम अलग से

चर्चा कर सकते हैं। वह भी तब जब राज्य से संबंध संबंधी विवाद सुलझ जावे। यदि हम दोनों को एक साथ जोडेंगे तो राजनीति से जुडे लोग दूसरे प्रस्ताव पर हीं हमारा ध्यान भटकाकर पहले प्रस्ताव की चर्चा को कमजोर कर देगे।

5. मुकेश कुमार रिहावली, फतेहाबाद, आगरा, उत्तर प्रदेश 3262

प्रश्न– आज कल कुकुरमुत्तों की तरह उग आये धर्म गुरूओ के पीछे भागना कहां तक उचित है और इसका समाधान क्या है।

उत्तर– यह बात सही है कि आज कल चाहे धर्मगुरू पर चर्चा की जाये अथवा समाज सेवको पर दोनो हीं दिशाओ में कुकुरमुत्तो की तरह नये– नये पेशेवर खडे हो गये है। किन्तु इससे भी अधिक खतरनाक विषय यह है कि आजकल राजनीति के नाम पर देश भर मे ऐसी ही दुकाने खुल गयी है। धर्म गुरूओ के व्यावसायिक उदभव से जितनी क्षति होती है उससे कई गुना अधिक नुकसान राजनीति के व्यवसायी करण से संभव है। मै मानता हूॅ कि धर्म स्थानों या सामाजिक क्षेत्रो का भी व्यवसायी करण कोई अच्छी बात नही है। किन्तु राजीतिक व्यवसायीकरण तो उससे भी अधिक बुरी बात है। क्योकि धर्म गुरू आपको धोखा देकर सहमत करता है। आपको बाध्य नही करता या मजबूर नही करता, दुसरी ओर राजनैतिक दुकानदारी कानून के द्वारा सेना पुलिस का भय दिखाकर आपकी स्वतंत्रता का हनन करती है। पेशेवर धर्म गुरू या सामाजिक कार्यकर्ताओ का समाज मे विस्तार होना विद्वानो की कमी का प्रभाव माना जाता है। यदि समाज मे अच्छे मार्गदर्शको की कमी होगी तो नकली मार्गदर्शक अपना जाल फैलायेगे हीं। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे समाज विचार, प्रचार के द्वारा रोक सकता है। किन्तु यदि राजनीति गलत दिशा मे चली जाये तो उसे सिर्फ विद्वान नही रोक सकते । राजनीति को रोकने के लिये तो सम्पूर्ण समाज को एक जुट होकर आगे आना पडता है। जब समाज मे दुष्ट प्रवृत्तिया नियंत्रण मे हो तो समाज सुधार की दिशा मे पहल करनी चाहिये । किन्तु जब दुष्ट प्रवृत्तियां समाज मे मजबूत हो जाये तो समाज सुधार का कार्य रोककर दुष्ट प्रवृत्तियो पर नियंत्रण का उपाय करना चाहिये। जो लोग इतने सक्षम नही हैं कि वे दुष्ट प्रवृत्तियो को रोकने की पहल कर सके, वे यदि समाज सुधार मे लगे तो क्षमता की कमी के आधार पर उनका यह कार्य मान्य हो सकता है। किन्तु मै अपने को उन कमजोर लोगो मे नहीं मानता और मै चाहता हूॅ कि आप भी अपने को ऐसे कमजोर लोगों की श्रेणी से निकालकर राजनीति के शुद्धिकरण की दिशा मे बढने की क्षमता प्राप्त करें। वर्तमान समय मे दुष्ट प्रवृत्तियों तथा राजनेताओ के बीच एक समझौता हो गया हैं। राजनीति सुरक्षा और न्याय से हटकर सुविधाए देने का अधिक से अधिक प्रयास कर रही हैं। ऐसे प्रयास दुष्ट प्रवृत्तियेा के अनुकुल हैं। हमे धर्म गुरूओ की अपेक्षा राजनैतिक शुद्धिकरण को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिये । यही कारण है कि हम समाज सुधार के कार्यो को छोडकर व्यवस्था परिवर्तन और उसमे भी राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे है।

कार्यालयीन प्रश्नोत्तर

अंक 290 से

प्रश्न1. आपका कहना है कि सरकार आर्थिक मामलों में टैक्स लगाने व प्राप्त राजस्व खर्च करने के लिए स्वतंत्र अर्थपालिका के समक्ष परतंत्र रहे। क्या ऐसी स्वतंत्र अर्थपालिका, अर्थशक्ति केंद्रीकरण की किसी नई ईकाई के रूप में विकसित होगी? क्या ऐसा कोई भी प्रयास समाज पर सत्ता की स्थापना के बहुध्रुवीय युग का सूत्रपात करेगा? कृपया विषय को स्पष्ट करें।

प्रश्न 2. राम जन्म भूमि विवाद के विषय में आपका यह कथन ठीक प्रतीत होता है कि संघ की राजनीतिक तृष्णा ने इस समस्या को कभी सुलझने नहीं दिया किंतु भारत के मुसलमानों ने दबकर हीं सही ऐसा पुरूषार्थ करने का प्रयास किया हो। मैं आपका यह तर्क स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया विषय स्पष्ट करें।

प्रश्न 3. आपके द्वारा की गयी संविधान की परिभाषा के अनुसार राज्य के अधिकतम तथा समाज के न्यूनतम अधिकारों की सीमाऐं निश्चित करने वाले दस्तावेज को संविधान कहते हैं। आप इस परिभाषा के व्यावहारिक पक्ष को जब सउदाहरण समझाते हैं तब तो यह ठीक प्रतीत होती है। लेकिन जब यह उदाहरण के रूप में समाज में प्रस्तुत की जाती है तो यह परिभाषा शब्द के मानक के अनुसार विषयवस्तु के स्वभाव को प्रकट नहीं कर पाती हैं। इस

विषय को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। क्या इस परिभाषा को व्यावहारिक तौर पर इस प्रकार व्यक्त करना उचित रहेगा कि राज्य के परिप्रेक्ष्य में संविधान की परिभाषा राज्य व समाज के अधिकारों की न्यूनतम व अधिकतम सीमाऐं तय करने वाले दस्तावेज को संविधान कहते हैं। क्योंकि संविधान केवल राज्य के परिप्रेक्ष्य को प्रदर्शित करने वाली विषय वस्तु नहीं है जीवन में इसकी आवश्यकता कई और दृष्टि से भी पडती है तथा दूसरे नजरिये से देखें तो आप संविधान के विषय में कई बार यह विवेचना भी करते हैं कि संविधान समाज तथा राज्य के बीच द्विपक्षीय समझौता है। विषय की समीक्षा करें।

उत्तर– (1) स्वतंत्र अर्थपालिका की अवधारणा सत्ता के कंद्रीकरण के विरूद्ध एक गंभीर समाधान हो सकता है। परिवार, गांव और जिले को संवैधानिक अधिकार मिल जाने से वैसे हीं 90 प्रतिशत् सत्ता अकेंद्रित हो जाएगी किंतु यदि स्वतंत्र अर्थपालिका हो गई तो शेष दस प्रतिशत् बची सत्ता भी विभाजित हो जायेगी। वर्तमान समय में राजनेताओं के पास सेना, पुलिस जैसे अधिकार तो हैं हीं किंतु मनमाने टैक्स लगाने और स्वतंत्रता पूर्वक खर्च करने के असीमित अधिकार संसद के पास सुरक्षित हैं। समाज तो इस संबंध में सिर्फ निवेदन हीं कर सकता है। स्वतंत्र अर्थपालिका सत्ता का एक नया केद्र बिंदु बना सकती है। इसका यह अर्थ हुआ कि जिस तरह न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका एक– दूसरे के पूरक और नियंत्रक हैं उसी तरह एक चौंथी ईकाईं पूरक और नियंत्रक के रूप में अर्थपालिका भी बन जाएगी।

(2) जब भारत में मंदिर प्रकरण जोर पकड़ रहा था तब मुस्लिम धर्म गुरूओं ने यह सुझाव दिया था कि अयोध्या, काशी तथा मथुरा के संबंध मे मुसलमान इस शर्त पर मंदिर मान लेंगे कि भारत के अन्य विवादास्पद मंदिरों पर हिंदू समाज भविष्य में कोई दावा नहीं करेगा। अर्थात् तीन स्थानों को छोडकर अन्य धर्मस्थानों का विवाद 15 अगस्त सन् 1947 के आधार पर हीं मान्य होगा। मुसलमानों की इस पेशकश को संघ परिवार ने ठुकरा दिया। मेरे विचार में मुसलमानों की यह पेशकश स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। मैं यह भी जानता हूं कि अयोध्या मंदिर में मूर्तियां वास्तव में निकली नहीं थी बल्कि प्रशासनिक सहयोग से वहां रखी गई थी। मेरे विचार में स्वतंत्रता के बाद सांप्रदायिक हिंदुओं ने समस्याओं के समाधान के लिए कोई अच्छी पहल न करके मुस्लिम सांप्रदायिकता का उत्तर उन्हीं की भाषा में देने की नीति अपनाई।

3. मैं आपसे सहमत हूं कि संविधान शब्द की परिभाषा समझना एक जटिल कार्य है जिसे उदाहरण देकर समझाया ज सकता है।

एक सफेद कागज या एक पूरी दीवाल अथवा जमीन के किसी छोटे से भाग को हम समाज मान लें। दीवाल का उपरी सिरा तथा नीचे का सिरा समाज के रूप में है। उस दीवाल में दो लकीरें खीच दें एक उपर और एक नीचे। संपूर्ण दीवाल तो समाज है। किंतु उपर नीचे खीची गई लकीरों के बीच का भाग राज्य है। उपर वाली रेखा राज्य के अधिकारों की अधिकतम सीमा रेखा है अर्थात् उस रेखा से उपर राज्य किसी भी स्थिति में नहीं जा सकता।

इसी तरह जो नीचे वाली लाईन है उससे नीचे भी राज्य नहीं कहा जा सकता। इसका अर्थ हुआ कि दोनों रेखाओं के बीच हीं राज्य अपना काम करवाने को बाध्य हैं। इन दोनों रेखाओं द्वारा सीमा का निर्धारण हीं संविधान है।

संविधान और कानून भिन्न– भिन्न अर्थ रखते हैं। दीवाल मे बने समाज मे दो रेखाओ के बीच जो राज्य है उस राज्य मे भी दो रेखाएं उपर नीचे खिची गई है जिन्हे कानून कहते है। इन दोनो रेखाओ के बीच व्यक्ति होता है । उपर वाली रेखा यह बताती है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति मे उस उपर की रेखा का उल्लंघन नही कर सकता। नीचे वाली रेखा यह बताती है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति मे उस रेखा को भी पार नहीं कर सकता। इन दोनो रेखाओ का निर्धारण कानून करता है। कानून संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारो के अंर्तगत ही बनाये जा सकते है। इसका अर्थ यह हुआ कि समाज ने व्यवस्था बनाये रखने के लिये स्वयं ही संविधान द्वारा एक सीमा के भीतर स्यवं को कैद कर लिया है। समाज उस कैद से स्वयं मुक्त नही हो सकता बल्कि उसे संविधान संशोधन द्वारा ही सीमा रेखा को बदलने की मजबूरी है।

संविधान राज्य और समाज के बीच द्विपक्षीय समझौता है या समाज का एकपक्षीय कार्य इसका निर्णय कठिन है। वर्तमान समय मे संविधान संशोधन संसद का एक पक्षीय अधिकार है तथा समाज संसद मे शामिल होने वाले व्यक्तियो को चुनने तक ही सीमित है। समाज किसी भी प्रकार से संविधान की समीक्षा या संशोधन नही कर

सकता क्योकि वह तो संसद का एकाधिकार है। संविधान बनाने वालो ने तो न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को भी संविधान समीक्षा से बाहर कर दिया था। न्यायालय जबरदस्ती ऐसे अधिकारो पर आंशिक अंकुश लगाने मे सफल हुआ है। किन्तु संसद के इन असीम अधिकारो पर सामाजिक रोक लगनी चाहिये। इसीलिये हम लोक संसद की आवाज उठा रहे है। यदि लाक संसद मान ली गयी तो संविधान समाज और राज्य के बीच द्विपक्षीय समझौता बन जायगा। यदि लोक संसद एक संविधान सभा का रूप ले ले तो संविधान द्विपक्षीय समझौता न होकर समाज के अधिकार मे हो जायगा।

उत्तरार्ध

विवेकानंद और भारत देश द्वारा, आचार्य पंकज, हरिद्वार, उत्तराखंड

स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत के पतन के जिम्मेदार हमारे पतित पंडित और ब्राम्हण थे। भारतीय संस्कृति मे उस ब्राम्हण का आदर किया गया था जो कि भूखा–नंगा, तपस्वी था, परन्तु हमारे ब्राम्हण भोगवादी हो गये। उन्होने अपने ज्ञान का उपयोग शेष जनता का दोहन करने में किया। जनता को सम्मोहित कर दिया। जनता को यह विश्वास दिला दिया कि ईश्वर ने उनके लिये गरीबी की ही व्यवस्था कर रखी है। गरीबी को तोडकर समृद्ध बनने की उनकी आकांक्षा को समाप्त कर दिया। यही कारण था कि भारत मे गरीब अपने पुरूषार्थ को भूल चुका था। और अपने को गरीब मानकर संतुष्ट था।

विवेकानंद जी का मानना था कि इस दुष्चक्र को तोडने के लिये गरीबों को शिक्षा दी जानी चाहिये। वे स्वीकार करते है कि शिक्षा ग्रहण करने के पहले पेट मे रोटी जानी चाहिये, परन्तु वे इस प्रश्न का सामना नही करते है कि पहले पेट मे रोटी जानी चाहिये अथवा शिक्षा। भूखा आदमी शिक्षा कैसे ग्रहण कर सकेगा? वे मानकर चलते है कि गरीबी के बावजूद यदि भूखे को शिक्षा दी जाये तो वह अपना रास्ता स्वयं निकाल लेगा। संभव भी है। गरीबी का मूल कारण यह होता है कि गरीब अपने को गरीब मान लेता है। और कमाई के जो थोडे बहुत अवसर उपलब्ध होते है उनका उपयोग नही करता है। परन्तु गरीबी का दूसरा कारण यह था कि अंग्रेज हमारा आर्थिक दोहन कर रहे थे और हमारे शासक एवं व्यापारी उनके पिछलग्गू बन गये थे।

स्वामी जी इस प्रश्न को नकार जाते हैं। यह प्रकरण महत्वपूर्ण है क्योकि वर्तमान मे भी हमारे शासक तथा व्यापारी लगभग इसी प्रकार का आचरण कर रहे है। स्वामी विवेकानंद जी भारत की गरीबी के लिये पूर्णतया पतित ब्राम्हणों को दोषी ठहराते है। भारत के राजाओं, नबाबों, एवं व्यापारियों को वे दोषी नही मानते। इंग्लैड मे उनकी एक अंग्रेजी जनरल से बात हुई थी। उन्होने उससे पूछा कि भारतीय उनसे युद्ध मे हार क्यों गये? अंग्रेज जनरल ने उत्तर दिया कि भारतीय सेनापति पीछे से अपने सैनिको को कहते थे कि आगे बढो, वे स्वयं आगे आकर उनका नेतृत्व नही करते थे। भारतीय राजपूताना रेजीमेंट अर्थात् क्षत्रियो की इस कमी को विवेकानंद जी नजर अंदाज कर गये।

विवेकानंद जी के इस भाव का बहुत महत्व है। वे भारतीय राजाओं को ललकारते नही हैं कि अग्रेजो के शासन को उखाड फेको बल्कि वे भारतीय राजाओं को इस बात का धन्यवाद देते हैं कि देश के शोषक इंग्लैंड तथा अमेरिका की यात्रा करने मे उन्होने स्वामी जी की मदद की थी। भारतीय संस्कृति में क्षत्रिय का मूल धर्म यह है कि वह अपनी जनता को लूटेरों से बचाये। स्वामी जी स्वीकारते है कि पश्चिमी सभ्यता राक्षसी है। पश्चिम को वे विरोचन का पुत्र कहते है। परन्तु उस आसुरी सभ्यता द्वारा जब भारत पर आक्रमण किया जाता है तो वे भारतीय राजाओ को सामना करने के लिये प्रेरित नही करते हैं। रामनाड एंव मैसूर के महाराजाओं को उन्होने सीख दी कि वे गरीबो के प्रति संवेदनशील बने । स्वामी जी उन्हे यह नही कहते कि अंगेजो द्वारा भारत के दोहन को रोके या देश की गरीबी का मूल कारण यह है कि हमारा सोना इंग्लैड जा रहा है। स्वामी जी इसे स्वीकार भी करते है कि हम अपने संसाधनो का अन्धों की तरह निर्यात करने मे लगे हुए हैं। इसे रोकने पर स्वामी जी का ध्यान नही जाता है। वे केवल भारत के ब्राम्हणों पर ही ध्यान केन्द्रित करते है। स्वामी जी पश्चिमी सभ्यता का राक्षसी चरित्र बताने के साथ– साथ उनकी भौतिक प्रगति, खुलापन, शिक्षा के विस्तार एवं गरीबी के उन्मूलन की प्रशंसा करते हैं। यह सही भी है। कीचड मे यदि कमल उग रहा तो उसे ले लेना

चाहिये। परन्तु इसका अर्थ यह नही होता हम कीचड को शुद्ध जल मान बैठें। समस्या यह है कि स्वामी जी पश्चिमी कीचड के वास्तविक चरित्र की सम्पूर्ण व्याख्या नही करते है। इसका परिणाम यह होता है कि स्वामी जी भारत तथा यूरोप मे अध्यात्म तथा विज्ञान का लेन–देन देखते हैं। वे मानकर चलते है कि भारत वैज्ञानिक नही हैं। आर्थिक समृद्धि भारत का मूल चरित्र नही है। विश्व अर्थ शक्ति एवं राजशक्ति बनना भारत का लक्ष्य नहीं है। भारत की वैज्ञानिक आर्थिक एवं राजनीतिक कमजोरी को वे स्वीकार कर लेते है जैसा कि यह हमारा चरित्र हीं है। वे कहते है कि भारत पश्चिम को आध्यात्म की शिक्षा देगा और बदले मे पश्चिम से भौतिक विज्ञान लेगा। वे रूककर यह नही पूछते है कि भारत स्वयं उस विज्ञान का विकास क्यों नही कर सकता है। आखिर भारत हजारो वर्षो तक विश्व की सबसे अधिक समृद्ध संस्कृति रहा है।

श्री राम भी रावण को अध्यात्म की शिक्षा दे सकते थे। श्री कृष्ण जरासंध एंव दुर्योधन को भी उनके असुरत्व से अलग कर सकते थे परन्तु राम और कृष्ण ने इन असुरो को शिक्षा देने का रास्ता नही अपनाया । उन्होने इन असुरों का सीधा वध किया । उनके अनुसार असुरो का उद्धार मृत्यु दंड से ही होता है। ऐसे अनेक दृष्टान्त उपलब्ध हैं जब इन अवतारी पुरूषो ने असुरो को शिक्षा देने का तनिक भी प्रयास नही किया परन्तु स्वामी जी उन्ही असुरो को अध्यातम की शिक्षा देना चाहते थे । बदले मे वे उनसे धन लेकर भारत की गरीबी दूर करना चाहते थे।

स्वामी जी ने पश्चिम की पहली यात्रा शिकागो मे आध्यात्मिक प्रवचन करने के लिये की थी। परन्तु दूसरी यात्राओं का उददेश्य था भारत की गरीबी दूर करने के लिये धन जुटाना। 1894 इं0 मे मैसूर के महाराजा को लिखे पत्र मे स्वामी जी कहते हैं कि अपने देश मे मदद मांगने की कोशिश करने एवं उसमे देश के अमीरो का सहयोग नही मिलने पर मै आपको सहयोग से इस देश मे आ चुका हूँ । ये सभी राजे, महाराजे और व्यापारी अंग्रेंजो के आसुरी राज से पीडित थे और उनके पिछलग्गु बन गये थे। स्वामी जी के समक्ष एक रास्ता यह था कि वे अंग्रेजो के आसुरी राज्य को उखाड फेकने के लिये हमारे राजाओ को कहते और गरीबी दूर करने मे लगाते । ऐसा करने के स्थान पर स्वामी जी ने अपने देश के राजाओ से मदद लेकर उन्ही आसुर सभ्यताओ के आध्यात्मिक शिक्षा देकर धन बटोरने की कोशिश की जिससे भारत की गरीबी दूर हो। नतीजा यह हुआ देश का सोना पश्चिमी देशो मे जाता रहा। देश गरीब बना रहा । संभव यह है कि स्वामी जी ने पश्चिम से एक रणनीति के अंतर्गत समझौता किया हो। क्योकि स्वामी जी यह भी निरंतर कहते है कि भारत को अपने बलबूते पर अपना रास्ता खोजना होगा ।

संभवत उस समय भारत की मानसिकता की वासना इतनी गहरी हो चली थी कि स्वतंत्रता एक स्वप्न मात्र दिख रही हो। अत स्वामी जी ने सोचा हो कि पश्चिम के डालर से शिक्षा देने और पश्चिम को ही उखाड फेकेंगे। अब देश को इस घुमावदार रणनीति से उबारना होगा। आज भी देश पिछलग्गुओं की राह पर चल रहा है। देश के चिन्तक देश की सरकार को स्वतंत्रता समृद्धि का रास्ता नही दिखा रहे हैं। कहा जाता है कि भारत को विदेशी निवेश चाहिये। जिस राज्य सरकार को वित्तीय संकट पैदा होता है वह एशियाई विकास बैंक के पास दौड जाता है। स्वयं सेवी संस्थाऐं एन. जी. ओ. विदेशी दान लेकर देश की गरीबी दूर करने मे लगे हुए है। देश की अपनी विकृतियों पर ध्यान नही हैं। हर सज्जन व्यक्ति समझ रहा है कि गरीबी शास्वत है और हम आसुरी पश्चिमी व्यवस्था से दान लेकर समृद्ध हो जायेगे । विचारको पर यह जिम्मेदारी है कि देश को आत्मस्वाभिमान की दिशा दे और पिछलग्गुपन से छुडाये।

स्वामी विवेकानंद जी अंग्रेजी भाषा के परम भक्त थे। शिकागो मे उनका भाषण धारा प्रवाह अद्वैत वेदान्त को लेकर हुआ था। जगत गुरू शंकराचार्य के ब्रहमसूत्र भाष्य का अंग्रेजी मे अनुवाद स्वामी जी ने किया था। स्वामी जी विचारक नही थे। वह वैदिक चिन्तन के प्रति समर्पित प्रचारक थे। देश उनके प्रचार का सदैव ऋणी रहेगा। इतिहास मे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन मे स्वामी जी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागिता शून्य हैं। स्वामी जी का कोई भक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के विरूद्ध तथा आजादी की लडाई के समर्थन मे स्वामी जी का वक्तव्य लेख और कर्म का उद्धरण दे सके तो मै भक्त का सदैव ऋणी रहूँगा। अपनी अल्प बुद्धि को समृद्ध कर धन्य हो जाउंगा। देश मे स्वामी विवेकानंद जी को महिमा मंडित करने का काम योजनापूर्वक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने किया। संघ का भी स्वतंत्रता आंदोलन से सहभागिता शूल्य है। संघ के संस्थापक डा0 हेडगेवार जी एक बार जेल गये थे तब वे कांग्रेस पार्टी मे थे। विजया दशमी 1925 से 15 अगस्त 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन मे संघ के योगदान का कोई उल्लेख नही हैं।

स्वतंत्रता आंदोलन मे आर्य समाज की बडी क्रान्तिकारी भूमिका रही है। उनकी प्रेरणा से वेदों के महाभाष्य कर्ता स्वामी दयानंद जी स्वय आंदोलन रत थे। उनकी प्रेरणा से हजारों आर्य समाज के लोगो ने जेल यात्राऐं की। लाला लाजपत राय जी शहीद हुए। स्वामी जी मूर्तिपूजा के प्रबल विरोधी थे। उनका क्रान्तिकारी विचार देश के जन मानस मे सम्मान के साथ फैल चुका था। मूर्तिपूजकों द्वारा तलाश शुरू हुई ऐसे एक सन्यासी की जो वेद का क– ख भले न जानता हो मूर्तिपूजा मे उसकी निष्ठा हो। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने स्वामी दयानंद जी के समानान्तर स्वामी विवेकानंद जी को स्थापित करने का काम पूरी शक्ति से किया ।